सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासनी अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या	—	2015/73 अपील
पंजीयन दिनांक	—	06—08—2015
निर्णय दिनांक	—	29—01—2018

1. श्री शिवलाल पिता लालु जी नाई, निवासी देवगढ, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)
2. श्री शान्तिलाल पिता लालु जी नाई, निवासी देवगढ, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री नैनालाल पिता लालु जी नाई, निवासी देवगढ, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)
3. श्री वीरभद्र सिंह पिता नाहरसिंह जी राजपूत चुण्डावत, निवासी देवगढ़ (राजमहल) तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद (राज.)

——रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमंद प्रकरण संख्या—26/2011 निर्णय दिनांक 30—03—2012.

उपस्थितिः—

1. श्री राजूसिंह रावत — अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री मनीष शर्मा — अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट सं.—1

निर्णय

दिनांक 29—01—2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमंद प्रकरण संख्या 26/2011 अपील निर्णय दिनांक 30–03–2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स व रेस्पों.संख्या–1 सगे भाई थे। इनके पिता श्री लालु पिता चतरा जी नाई द्वारा 85/–रुपये में ठिकाना देवगढ़ श्री सग्राम सिंह पिता विजय सिंह जी चुण्डावत के स्वामित्व के आराजी नं. 3661 में से 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि क्रय की गई। भूमि की किमत 100/–रु. से कम होने से रजिस्ट्री नहीं कराई गई। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 829 दिनांक 24.12.1968 स्वीकृत किया गया। श्री लालु नाई ने कथित भूमि को दिनांक 17.07.1980 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के अपीलान्ट्स को विक्रय कर दी। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1893 अपीलान्ट्स के नाम स्वीकृत किया गया। श्री नैनालाल रेस्पों. सं. 1 को उक्त भूमि में हिस्सा नहीं देने से नाराज होकर आराजी नं. 3661में ठिकानेदार द्वारा भूमि नहीं देकर खसरा नं. 3023 में से भूमि देने की बात का आधार बनाकर नामान्तरकरण संख्या 829 दिनांक 24.12.1968 के विरुद्ध प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमंद के न्यायालय में 42 वर्ष बाद रेस्पों. सं. 1 ने प्रस्तुत की। अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमंद द्वारा रेस्पों. सं. 1 की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 829 दिनांक 24.12.1968 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार देवगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये कि दोनों पक्षों की सुनवायी की जाकर नये सिरे से राजस्व अभिलेख की जांच की जाकर नियमानुसार प्रकरण निस्तारित किया जावे। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। तहत का अभिलेख प्राप्त किया गया। वकील अपीलान्ट्स एवं वकील रेस्पों.संख्या–1 उपस्थित। दीगर रेस्पों. की ओर से कोई उपस्थित नहीं। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने बहस में बताया कि यह अपील 2 वर्ष 8 माह बाद देरी से प्रस्तुत किये जाने से मियाद माफी हेतु धारा 5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ अपील पेश की गई है। श्री लालु द्वारा खसरा नं. 3661 की भूमि अपीलान्ट श्री शिवलाल एवं शांतिलाल को बेचान कर कब्जा मौके पर सिपुर्द किया है, जिसके आधार पर उनके नाम खातेदारी इन्द्राज हुई है जो वर्तमान में अंकित है। अपीलान्ट्स का नाम दिनांक 02.04.2014 जरिये नामान्तरकरण संख्या 4529 द्वारा

हटाये जाने से उनके खातेदारी में नाम के स्थान पर पूर्व जागीरदार संग्रम सिंह जी का नाम दर्ज कर देने एवं पूर्व जागीरदार द्वारा जमीन का कब्जा छीनने का मानस बनाने व रेकार्ड में वारिसान कायम कराने की मन्सा होने के कारण अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमंद द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। आगे यह भी कथन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा आराजी नं. 3661 क्रय शुदा है तथा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खोला गया है तथा उक्त भूमि पर कब्जा भी अपीलान्ट्स का है। जबकि रेस्पों. सं. 1 द्वारा आराजी नं. 3023 का नामान्तरकरण खुलवाना चाहता है तो अपील भी आराजी नं. 3023 की करनी चाहिये थी। आराजी नं. 3661 का नामान्तरकरण अपीलान्ट्स के नाम का खुला है इस पर रेस्पों. को कोई अधिकार नहीं है। और यहि भी कथन किया कि किसी भी दस्तावेज को सिविल न्यायालय से निरस्त घोषित कराये बिना खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अन्त में Docid# IndlawLib/1036692 पेज 1 से 11 , Docid# IndlawLib/997289 पेज 1 से 6, एवं Digest on Rajasthan Ravenue Laws [Sec.3] पेज 294, 287, Sec-5 पेज 298 की नजीरें पेश कर अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमंद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2012 को अपास्त कराते हुए नामान्तरकरण संख्या 829 दिनांक 24.12.1968 को बहाल रखाये जाने एवं तहसीलदार देवगढ़ द्वारा सुनवाई के दौरान पारित किये गये नामान्तरकरण संख्या 4529 दिनांक 02.04.2014 को निरस्त कराये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा जो अपील माननीय न्यायालय में पेश की गई है वह लगभग 3 वर्ष मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट ने अपील को मियाद में लाने हेतु झूठे तथ्य अंकित किये गये है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमंद में अधिवक्ता श्री डी.एस. कर्णावट पैरवी कर रहे थे व अपीलान्ट की उपस्थिति में ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.03.2012 को रेस्पों. की अपील स्वीकार फरमायी जाकर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने का आदेश पारित किया गया तथा रिमाण्ड़ के प्श्चात् तहसीलदार देवगढ़ के न्यायालय में अपीलान्ट दिनांक 15.05.2012 को उपस्थित थे व उसके पश्चात् अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता उक्त रिमाण्ड से बराबर पैरवी करते चले आ रहे थे व वर्ष 2014 तक उक्त प्रकरण की कार्यवाही में भाग लेने के पश्चात् अपीलान्ट द्वारा गलत व झूठे आधारों पर वर्ष 2015 में यह अपील पेश की गई जो स्पष्ट रुप से कालबाधित है तथा इसी स्तर पर अपील मयाद बाधित होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.03.2012 बहाल रखाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। श्री लालु पिता चतरा जी नाई द्वारा 85/—रुपये में ठिकाना

देवगढ़ श्री सग्राम सिंह पिता विजय सिंह जी चुण्डावत के स्वामित्व के आराजी 3661 में से 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि क्रय की गई। भूमि की किमत 100/–रु. से कम होने से रजिस्ट्री नहीं कराई गई। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 829 दिनांक 24.12.1968 स्वीकृत किया गया। श्री लालु नाई ने कथित भूमि को दिनांक 17.07.1980 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के अपीलान्ट्स को विक्रय कर दी। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1893 अपीलान्ट्स के नाम स्वीकृत किया गया।

रेस्पों. संख्या 1 ने न्यायालय अति.जिला कलक्टर राजसमंद में नामान्तरकरण संख्या 829 दिनांक 24.12.1968 के विरुद्ध अपील पेश की गई। उक्त अपील में दस्तावेजों के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 539 दिनांक 17.10.1963 में खसरा नं. 3661 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा की प्रविष्टि है। नामान्तरकरण संख्या 829 में भी खसरा नं. 3661 की प्रविष्टि है। । खतौनी सम्वत् 2022 से 2025 के कालम 16 में क्रम संख्या 57 पर नामान्तरकरण संख्या 829 से आराजी नं. 3023 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा का नोट अंकित है। जमाबंदी 2026 से 2029 मों नामान्तरकरण संख्या 539 से खसरा नं. 3661 अंकित है। जिससे विरोधाभाषी की स्थिति उत्पन्न होना एवं नामान्तरकरण संख्या 829 में अंकित खसरा नं. 3661 ऑवर राईटिंग से अंकित होने से खसरा नम्बरों की वास्तविक स्थिति नहीं होकर संदेहास्पद पाये जानें से अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 829 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार देवगढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि दोनों पक्षों की सुनवायी कर नये सिरे से राजस्व अभिलेख की जांच की जाकर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावे। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जिससे हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2012 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमंद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय दिनांक 29–01–2018 को सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी को दिनांक 19.09.2017 को भी दूरभाष पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु दूरभाष पर कार्यालय में दिनांक 22.09.2017 को उपस्थित होने बाबत सूचित किया गया। परन्तु अपीलार्थी नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। जिससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी द्वारा भी इस उत्तर पर कोई प्रतिक्रिया अथवा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु निवेदन नहीं किये जाने से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी, संभागीय आयुक्त, उदयपुर के उत्तर से संतुष्ट है।

अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर